संख्या–पी–43 / 14–2–2017–800 (193) / 2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक** 03 मई ~~**अप्रैल**~~ **2017**

विषयः– गाजियाबाद में दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे (ग्रीन फील्ड परियोजना) के निर्माण हेतु 14.018 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 1.035 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 15.053 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2761 वृक्षों के पातन की अनुमति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्या–8बी / 06 / 02 / 2017 / एफसी / 479, दिनांक 11–01–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–2104 / 11सी / एफपी / यूपी / रोड / 10947 / 2015, दिनांक 13–4–2017 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्तावं शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 13–4–2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्तात (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,
(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या–पी–43(1) / 14–2–2017–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।